The Infinite
An International Peer Reviewed / Refereed Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 2 | Feburary 2025
ISSN: 3048-9539 (Online)
Website: www.theinfinite.in

भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण का विधिक एवं न्यायिक विश्लेषण : स्वच्छ पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन

प्रो० (डॉ०) अशोक कुमार सोनकर

विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय

ARTICLE DETAILS

Research Paper

कुंजी शब्द :

वायु प्रदूषण, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, अनुच्छेद 21, पर्यावरणीय न्यायशास्त्र, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981।

सार

वायु प्रदूषण वर्तमान समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय और जनस्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में से एक है। इसका प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा सतत विकास पर पड़ रहा है। भारत में तीव्र औद्योगीकरण, बढ़ते शहरीकरण, वाहनों की संख्या में वृद्धि, जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग तथा कृषि अवशेषों के दहन के कारण यह समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। वायु प्रदूषण नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार की न्यायिक व्याख्या ने स्वच्छ और प्रदूषण–मुक्त पर्यावरण को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 48क राज्य को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 51क(छ) प्रत्येक नागरिक पर पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन का कर्तव्य अधिरोपित करता है। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण राज्य और नागरिक दोनों की साझा जिम्मेदारी है। यह लेख भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विधिक और न्यायिक व्यवस्था का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 जैसे प्रमुख कानूनों का अध्ययन किया गया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का भी विश्लेषण किया गया है, जिनके माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुदृढ़ किया गया है। लेख में वायु प्रदूषण की वर्तमान स्थिति, उससे उत्पन्न चुनौतियों तथा नियंत्रण उपायों का भी मूल्यांकन किया गया है। अंत में वायु प्रदूषण नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विधिक, प्रशासनिक और नीतिगत सुधारों के

सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इन उपायों के माध्यम से नागरिकों के स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

1. प्रस्तावना :

स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण मानव जीवन के अस्तित्व, विकास तथा गरिमापूर्ण जीवन–यापन की मूलभूत आवश्यकता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों में वायु का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी के जीवन का आधार स्वच्छ वायु है। किंतु वर्तमान समय में तीव्र औद्योगीकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, परिवहन साधनों की बढ़ती संख्या तथा ऊर्जा की बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण विश्वव्यापी समस्या बन चुका है। विकासशील देशों में यह समस्या और अधिक गंभीर रूप धारण कर चुकी है, जिनमें भारत प्रमुख है। वायु प्रदूषण न केवल पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित करता है, बल्कि मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता तथा सतत विकास के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। भारत में वायु प्रदूषण आज एक गंभीर पर्यावरणीय एवं जनस्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है। हाल ही में जारी एक वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत में स्थित हैं, जो देश में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार असम का बर्नीहाट विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। दिल्ली लगातार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। यद्यपि वर्ष 2024 में भारत में सूक्ष्म कणिकीय प्रदूषक 2.5 अर्थात् 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले सूक्ष्म कणिकीय प्रदूषकों के औसत स्तर में लगभग 7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, फिर भी प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य मानकों की तुलना में अत्यधिक ऊँचा बना हुआ है। वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि भारत में वायु प्रदूषण औसतन लोगों की जीवन प्रत्याशा को कई वर्षों तक कम कर देता है। जो प्रतिवर्ष लाखों असामयिक मृत्यु का कारण बनता है। सूक्ष्म कणिकीय प्रदूषक (2.5) फेफड़ों और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर श्वसन संबंधी रोगों, हृदय रोगों, कैंसर तथा अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देते हैं। औद्योगिक गतिविधियाँ, मोटर वाहनों से उत्सर्जित धुआँ, तापीय विद्युत संयंत्र, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, निर्माण कार्यों से उत्पन्न धूल तथा कृषि अवशेषों और बायोमास का दहन वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या ने विधि निर्माताओं, न्यायपालिका, नीति–निर्माताओं तथा पर्यावरणविदों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्यापक न्यायिक व्याख्या के माध्यम से स्वच्छ एवं प्रदूषण–मुक्त पर्यावरण के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 48क में राज्य को पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का दायित्व सौंपा गया है तथा अनुच्छेद 51क(छ) के तहत प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करे। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु भारत में अनेक विधिक उपाय किए गए हैं। वायु अधिनियम, 1981, पर्यावरण अधिनियम, 1986 तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण

अधिनियम, 2010 आदि प्रमुख विधानों के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण हेतु संस्थागत एवं नियामक ढाँचा विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय पर्यावरणीय न्यायशास्त्र को सुदृढ़ करते हुए प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत लेख भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विधिक एवं न्यायिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण करता है। साथ ही यह अध्ययन स्वच्छ पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार, विद्यमान कानूनों की प्रभावशीलता, न्यायिक हस्तक्षेपों तथा वर्तमान चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपायों का विवेचन करता है। यह शोध इस तथ्य को रेखांकित करता है कि नागरिकों के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी विधिक प्रवर्तन, कठोर नियामक तंत्र तथा पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की भावना का विकास अत्यंत आवश्यक है।

2. वायु प्रदूषण की अवधारणा एवं कारण

वायु जीवन के लिए सबसे आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। मानव, पशु—पक्षी तथा वनस्पतियाँ अपने अस्तित्व के लिए स्वच्छ वायु पर निर्भर रहती हैं। जब वायु के प्राकृतिक संघटन में ऐसे अवांछित तत्व, गैसें अथवा सूक्ष्म कण सम्मिलित हो जाते हैं, जिनसे मानव स्वास्थ्य, जीव—जंतुओं, वनस्पतियों, संपत्ति अथवा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब उस स्थिति को वायु प्रदूषण कहा जाता है। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण विश्व की प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है, जो मानव जीवन तथा पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है।[1]

वायु प्रदूषक की विधिक परिभाषा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 2(क) में दी गई है। इस अधिनियम के अनुसार 'वायु प्रदूषक' से आशय ऐसे किसी ठोस, द्रव अथवा गैसीय पदार्थ से है, जो वायुमंडल में ऐसी सांद्रता में उपस्थित हो जिससे मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, संपत्ति अथवा पर्यावरण को हानि पहुँचती हो अथवा हानि पहुँचने की संभावना हो। इसी अधिनियम की धारा 2(ख) के अनुसार 'वायु प्रदूषण' से आशय वायुमंडल में किसी वायु प्रदूषक की उपस्थिति से है।[2] वायु प्रदूषण प्राकृतिक तथा मानवजनित दोनों कारणों से उत्पन्न हो सकता है। प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी विस्फोट, वनाग्नि, धूल भरी आँधियाँ तथा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले गैसीय उत्सर्जन सम्मिलित हैं। यद्यपि इनका प्रभाव सामान्यतः सीमित एवं अस्थायी होता है, परन्तु आधुनिक युग में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं।

औद्योगीकरण वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। विभिन्न उद्योगों, कारखानों तथा तापीय विद्युत गृहों से निकलने वाला धुआँ और विषैली गैसें वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक तत्व वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं तथा मानव स्वास्थ्य के लिए

[1] पी. लीला कृष्णन, भारत में पर्यावरण विधि (लेक्सिसनेक्सिस, गुरुग्राम, 2021)।

[2] वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, धारा 2(क) एवं 2(ख)।

गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।[3] वाहनों की बढ़ती संख्या भी प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है। पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआँ शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है। महानगरों में यातायात का अत्यधिक दबाव वायु प्रदूषण की समस्या को और अधिक गंभीर बना देता है।[4] जीवाश्म ईंधनों का व्यापक उपयोग भी वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के दहन से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें वातावरण में उत्सर्जित होती हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू ईंधन के रूप में लकड़ी, उपले तथा अन्य जैविक पदार्थों के उपयोग से भी वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है।[5] कृषि क्षेत्र में फसल अवशेषों को जलाने की प्रथा भी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बन गई है। विशेष रूप से उत्तर भारत में पराली जलाने से बड़ी मात्रा में धुआँ एवं सूक्ष्म कण वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।[6]

निर्माण कार्य, खनन गतिविधियाँ तथा सड़कों पर उड़ने वाली धूल भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने में योगदान करती हैं। भवन निर्माण, सड़क निर्माण तथा अन्य विकास परियोजनाओं से उत्पन्न धूलकण वायुमंडल में मिलकर प्रदूषण की मात्रा बढ़ा देते हैं। इसके अतिरिक्त वनों की कटाई तथा हरित क्षेत्रों में कमी भी वायु प्रदूषण की समस्या को और अधिक गंभीर बनाती है, क्योंकि वृक्ष वायु को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।[7] अतः यह स्पष्ट है कि वायु प्रदूषण वर्तमान समय की एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है, जिसके अधिकांश कारण मानवीय गतिविधियों से संबंधित हैं। इस समस्या के प्रभावी समाधान हेतु विधिक नियंत्रण, पर्यावरणीय जागरूकता, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग तथा सतत विकास की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना आवश्यक है।

3. भारत में वायु प्रदूषण की वर्तमान स्थिति

भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति वर्तमान समय में अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक बनी हुई है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय रिपोर्टों के अनुसार भारत विश्व के सबसे अधिक वायु प्रदूषित देशों में शामिल है तथा यहाँ अनेक शहरों में वायु गुणवत्ता स्तर लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक पाया जा रहा है। वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के अनेक महानगर एवं औद्योगिक शहर सूक्ष्म कणिकीय प्रदूषक (2.5) के अत्यधिक स्तर के कारण गंभीर स्वास्थ्य जोखिम की स्थिति हैं।[8] विभिन्न अध्ययनों एवं रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च बना हुआ है। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं उससे जुड़े शहरी क्षेत्रों में स्थिति अधिक गंभीर है, जहाँ प्रदूषण का स्तर अक्सर "खराब" से "गंभीर" श्रेणी में दर्ज किया जाता है। आकलनों के अनुसार दिल्ली का सूक्ष्म कणिकीय प्रदूषण स्तर लगभग

---

[3] सी. एम. जरीवाला, पर्यावरण न्याय (ए पी एच पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन दिसंबर 2004)।

[4] अनिरुद्ध प्रसाद, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण विधि की रूपरेखा, अष्टम संस्करण (सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, प्रयागराज, 2023), पृष्ठ 312।

[5] पी. लीला कृष्णन, भारत में पर्यावरण विधि (लेक्सिसनेक्सिस, गुरुग्राम, 2021)।

[6] भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, 2019।

[7] श्याम दीवान एवं आर्मिन रोजेनक्रान्ज, भारत में पर्यावरण विधि एवं नीति (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2022) 54।

[8] अंतरराष्ट्रीय वायु गुणवत्ता संस्था, वैश्विक वायु गुणवत्ता प्रतिवेदन 2024, उपलब्ध https://www.iqair.com ।

100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक पाया गया, जो भारतीय मानकों से लगभग ढाई गुना तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से लगभग बीस गुना अधिक है। यह तथ्य भारत में वायु प्रदूषण की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति केवल कुछ महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक क्षेत्रीय समस्या का रूप ले चुकी है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कई शहरों में भी प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है। रिपोर्टों के अनुसार देश के सैकड़ों शहर ऐसे हैं जहाँ वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी रहती है, किंतु उनमें से बहुत कम शहरों के लिए प्रभावी कार्य योजना लागू की गई है।[9]

वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल पर्यावरणीय संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गंभीर जनस्वास्थ्य संकट के रूप में सामने आया है। विभिन्न चिकित्सा एवं पर्यावरणीय अध्ययनों के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी रोग, हृदय रोग, फेफड़ों का संक्रमण, दमा तथा कैंसर आदि गंभीर बीमारियों में वृद्धि देखी जा रही है। इसके अतिरिक्त दीर्घकालिक रूप से वायु प्रदूषण मानव जीवन प्रत्याशा को भी कम करता है तथा प्रतिवर्ष लाखों असामयिक मृत्यु के मामलों से जुड़ा पाया गया है।[10] भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियाँ, कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन, निर्माण कार्यों से उत्पन्न धूल तथा कृषि अवशेषों का दहन शामिल हैं। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में वाहनों की बढ़ती संख्या तथा ट्रैफिक दबाव वायु गुणवत्ता को अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पराली एवं बायोमास दहन एक प्रमुख कारण के रूप में उभर रहा है।[11] यद्यपि भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, उत्सर्जन मानकों का निर्धारण तथा निगरानी तंत्र का विस्तार, तथापि वास्तविक स्थिति में अपेक्षित सुधार अभी भी सीमित है। विशेषज्ञों का मत है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर समन्वित नीति, कठोर विधिक प्रवर्तन तथा स्वच्छ ऊर्जा की ओर तीव्र संक्रमण अत्यंत आवश्यक है।[12] अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत में वायु प्रदूषण की वर्तमान स्थिति अत्यंत गंभीर एवं बहुआयामी समस्या है, जो न केवल पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक–आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर रही है। इस समस्या के समाधान हेतु विधिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्तर पर सशक्त एवं सतत प्रयासों की आवश्यकता है।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रावधान

वायु प्रदूषण वर्तमान समय में एक वैश्विक पर्यावरणीय चुनौती बन चुका है, जिसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों तथा जलवायु पर पड़ता है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने

[9]वार्षिक रिपोर्ट 2024–2025, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

[10]स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उपलब्ध https://www.stateofglobalair.org/resources/archived/state-global-air-report-2024 ।

[11] अनुमिता रॉय चौधरी और ज्योति कुमारी 2024, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्रामः सुधार के लिए एक एजेंडा, दिल्ली, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली ।

[12] प्राण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, उपलब्धः https://prana.cpcb.gov.in/#/home

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न घोषणाओं, अभिसमयों तथा समझौतों को अपनाया है। इन अंतरराष्ट्रीय प्रावधानों ने पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, सतत विकास तथा स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा वर्ष 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्वीकृत घोषणा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ मानी जाती है। इस घोषणा के प्रथम सिद्धांत में यह स्वीकार किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे पर्यावरण में जीवन यापन करने का अधिकार है, जिसकी गुणवत्ता गरिमामय एवं स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त हो।[13] इसके अतिरिक्त घोषणा में राज्यों पर यह दायित्व भी निर्धारित किया गया कि उनकी गतिविधियों से अन्य राज्यों अथवा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के पर्यावरण को क्षति न पहुँचे।[14] वर्ष 1992 में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत रियो घोषणा को स्वीकार किया गया। इस घोषणा ने सतत विकास की अवधारणा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ किया। घोषणा में पर्यावरणीय निर्णयों में जनसहभागिता, सूचना तक पहुँच तथा न्याय प्राप्ति के अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। साथ ही पूर्व–सावधानी सिद्धांत को भी मान्यता प्रदान की गई, जिसके अनुसार पर्यावरण को संभावित क्षति की आशंका होने पर वैज्ञानिक अनिश्चितता के बावजूद निवारक उपाय अपनाए जाने चाहिए।[15] इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय को भी स्वीकार किया गया, जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जिससे जलवायु तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।[16] इस अभिसमय ने सदस्य राष्ट्रों को प्रदूषण नियंत्रण, उत्सर्जन में कमी तथा पर्यावरणीय संरक्षण के उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके पश्चात 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल तथा 2015 के पेरिस समझौते ने वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन नियंत्रण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों को और अधिक सशक्त बनाया। पेरिस समझौते के अंतर्गत देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने तथा पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करने का संकल्प व्यक्त किया।[17] इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित इन सिद्धांतों एवं प्रावधानों ने वायु प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत सहित अनेक देशों ने इन सिद्धांतों को अपनी राष्ट्रीय नीतियों एवं विधियों में समाहित किया है।

5. वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान मूल रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी पृथक मौलिक अधिकार का प्रावधान नहीं करता है, तथापि संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों की व्यापक व्याख्या के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को महत्वपूर्ण संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। समय के साथ न्यायपालिका ने संविधान के प्रावधानों का

---

13 संयुक्त राष्ट्र, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा (स्टॉकहोम घोषणा, 1972), सिद्धांत 1।
14 वही, सिद्धांत 21।
15 संयुक्त राष्ट्र, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा, 1992, सिद्धांत 10 एवं 15।
16 संयुक्त राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय, 1992, अनुच्छेद 2।
17 संयुक्त राष्ट्र, पेरिस समझौता, 2015, अनुच्छेद 2 एवं 4।

विस्तार करते हुए यह स्थापित किया है कि स्वच्छ एवं प्रदूषण—मुक्त पर्यावरण में जीवन व्यतीत करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। न्यायपालिका ने इस अनुच्छेद की उदार व्याख्या करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि "जीवन" का अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वस्थ, सुरक्षित और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार भी सम्मिलित है। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल तथा प्रदूषण—मुक्त पर्यावरण को इसी अधिकार का अभिन्न अंग माना गया है।[18] इस प्रकार वायु प्रदूषण से संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित माना जाता है। संविधान के भाग—चार में राज्य के नीति—निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48(क) का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।[19] यद्यपि नीति—निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं, तथापि शासन की नीतियों एवं विधायी उपायों के निर्धारण में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त, संविधान के भाग—चार(क) में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51(क)(छ) के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। प्राकृतिक पर्यावरण में वन, झीलें, नदियाँ तथा वन्य जीव शामिल हैं। साथ ही, प्रत्येक नागरिक को सभी जीवधारियों के प्रति करुणा और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। इससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है।[20] यह प्रावधान पर्यावरण संरक्षण को केवल राज्य का दायित्व न मानकर नागरिकों का भी संवैधानिक कर्तव्य घोषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 47 का भी पर्यावरण संरक्षण से अप्रत्यक्ष संबंध है। यह अनुच्छेद राज्य को लोक स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने तथा जनस्वास्थ्य की रक्षा करने का निर्देश देता है।[21] वायु प्रदूषण का सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए वायु की गुणवत्ता में सुधार करना राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व है। राज्य द्वारा किए गए प्रदूषण नियंत्रण के उपाय नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा में सहायक होते हैं। संविधान की सप्तम अनुसूची में भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। वन, वन्य जीव संरक्षण तथा जनस्वास्थ्य आदि विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं। इसके कारण संघ और राज्य दोनों को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यह व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है।[22] इस प्रकार भारतीय संविधान पर्यावरण संरक्षण तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए मजबूत संवैधानिक आधार प्रदान करता है। संविधान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति—निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य मिलकर पर्यावरण सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था स्थापित करते हैं। इनके संयुक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण केवल एक

[18] भारत का संविधान, अनुच्छेद 21।

[19] भारत का संविधान, अनुच्छेद 48(क)।

[20] भारत का संविधान, अनुच्छेद 51(क)(छ)।

[21] उपरोक्त, अनुच्छेद 47।

[22] उपरोक्त, सप्तम अनुसूची, समवर्ती सूची, प्रविष्टि 17(क), 17(ख) तथा संबंधित पर्यावरणीय विषय।

नीतिगत लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण राज्य तथा नागरिकों दोनों की साझा जिम्मेदारी है। भारतीय न्यायपालिका ने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्वच्छ एवं प्रदूषण–मुक्त पर्यावरण को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि प्रदूषित पर्यावरण में जीवन यापन करना संविधान द्वारा प्रदत्त गरिमामय जीवन के अधिकार के विपरीत है। सर्वप्रथम, *सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य* के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि प्रदूषण–मुक्त जल और वायु का उपभोग करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है।[23] इस निर्णय ने स्वच्छ पर्यावरण को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। इसके पश्चात *एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ* के विभिन्न मामलों में न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए तथा यह स्पष्ट किया कि राज्य का दायित्व है कि वह नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराए।[24] इन मामलों के माध्यम से न्यायालय ने औद्योगिक प्रदूषण, वाहन प्रदूषण तथा पर्यावरणीय क्षति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किए। इसी प्रकार *वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ* के मामले में उच्चतम न्यायालय ने "पूर्व सावधानी सिद्धांत" तथा "प्रदूषक भुगतान सिद्धांत" को भारतीय पर्यावरणीय न्यायशास्त्र का अभिन्न अंग घोषित किया।[25] न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के मध्य संतुलन बनाए रखना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। इसके अतिरिक्त *ए. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम एम. वी. नायडू* के मामले में न्यायालय ने पर्यावरणीय मामलों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने तथा पूर्व सावधानी सिद्धांत के महत्व पर बल दिया।[26] इस निर्णय ने पर्यावरणीय निर्णयों में विशेषज्ञता और सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित किया। इन न्यायिक निर्णयों से स्पष्ट होता है कि भारतीय न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48(क) तथा अनुच्छेद 51(क)(छ) की संयुक्त व्याख्या करते हुए स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ळें

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित वैधानिक प्रावधान

भारत में वायु प्रदूषण की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए समय–समय पर विभिन्न विधिक उपाय किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में अनेक अधिनियम बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना तथा नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण

[23] 1991 एस सी 420।

[24] 1987 एस सी 1086।

[25] (1996) 5 एस सी सी 647।

[26] (1999) 2 एस सी सी 718।

अधिनियम, 2010 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये अधिनियम वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक विधिक ढाँचा प्रदान करते हैं।

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बनाया गया यह पहला व्यापक कानून है। इस अधिनियम का निर्माण वर्ष 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत द्वारा व्यक्त प्रतिबद्धताओं के अनुरूप किया गया था। अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपशमन के लिए संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना है।[27] इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ये बोर्ड वायु गुणवत्ता मानकों का निर्धारण, प्रदूषणकारी गतिविधियों की निगरानी, उद्योगों को अनुमति प्रदान करने तथा उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी हैं।[28] अधिनियम की धारा 21 के अनुसार किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई भी औद्योगिक संयंत्र संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना स्थापित अथवा संचालित नहीं किया जा सकता।[29] इसके अतिरिक्त धारा 22 उद्योगों को निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करने से प्रतिबंधित करती है।[30] इस प्रकार यह अधिनियम वायु प्रदूषण नियंत्रण का मूल वैधानिक आधार प्रदान करता है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक एवं सशक्त कानून की आवश्यकता अनुभव की गई, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक व्यापक छत्र अधिनियम माना जाता है।[31] इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने की व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।[32] सरकार को प्रदूषण नियंत्रण मानक निर्धारित करने, खतरनाक पदार्थों के उपयोग को विनियमित करने तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता बनाए रखने हेतु नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में यह अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न पर्यावरणीय नियम, अधिसूचनाएँ तथा मानक निर्धारित किए गए हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, उत्सर्जन मानकों का निर्धारण तथा प्रदूषणकारी गतिविधियों पर नियंत्रण जैसे उपाय इसी अधिनियम के माध्यम से प्रभावी बनाए गए हैं।[33]

---

[27] वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, प्रस्तावना।
[28] वही, धाराएँ 16 एवं 17।
[29] वही, धारा 21।
[30] वही, धारा 22।
[31] पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, प्रस्तावना।
[32] वही, धारा 3।
[33] वही, धाराएँ 6, 7 एवं 8।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010

पर्यावरणीय विवादों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई, जिसे पर्यावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के निर्णय का विशेष अधिकार प्रदान किया गया है।[34] राष्ट्रीय हरित अधिकरण को पर्यावरणीय क्षति, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकरण पर्यावरणीय क्षति के लिए प्रतिकर प्रदान कर सकता है तथा प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश भी जारी कर सकता है।[35] इस अधिनियम की विशेषता यह है कि यह ष्प्रदूषक भुगतान सिद्धांतष् ष्पूर्व सावधानी सिद्धांतष् तथा ष्सतत विकास सिद्धांतष् जैसे पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लागू करने का वैधानिक आधार प्रदान करता है।[36] वायु प्रदूषण से संबंधित अनेक मामलों में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रभावी हस्तक्षेप करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त अधिनियम भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण की विधिक व्यवस्था की आधारशिला हैं। ये न केवल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु नियामक तंत्र उपलब्ध कराते हैं, बल्कि नागरिकों के स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की प्रभावी सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं।

भारतीय न्याय संहिता, 2023

यदि किसी व्यक्ति, उद्योग या संस्था की गतिविधि से जनता को सामान्य क्षति, खतरा या असुविधा होती है, तो वह लोक उपद्रव की श्रेणी में आ सकता है। अत्यधिक धुआँ, विषैली गैसों का उत्सर्जन अथवा वायु प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियाँ परिस्थितियों के अनुसार इस धारा के अंतर्गत विचारणीय हो सकती हैं।[37]धारा 280 के तहत "जो कोई, किसी स्थान के वायुमंडल को सुरक्षा से इस प्रकार दूषित करता है कि वह जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए, जो पडोस में निवास या कारोबार करते हैं या लोक मार्ग में आते जाते हो, हानिकारक बन जाए तो वह जमाने से जो ₹1000 तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।"

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

जिला मजिस्ट्रेट अथवा कार्यपालिका मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यापार, उद्योग या गतिविधि को विनियमित अथवा बंद करने का आदेश दे सकता है जो समुदाय के स्वास्थ्य या शारीरिक सुविधा के लिए हानिकारक हो। वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध यह धारा

---

34 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010, प्रस्तावना।

35 वही, धाराएँ 14, 15 एवं 17।

36 वही, धारा 20।

37 भारतीय न्याय संहिता, 2023, धारा 270।

अत्यंत महत्वपूर्ण है।[38] मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति या संस्था को लोक उपद्रव जारी रखने अथवा दोहराने से रोकने का आदेश दे सकता है। वायु प्रदूषण के मामलों में यह निवारक शक्ति महत्वपूर्ण है।[39]

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण में संस्थागत तंत्र

भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल विधिक प्रावधान ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई है। ये संस्थाएँ वायु गुणवत्ता की निगरानी, प्रदूषण नियंत्रण मानकों के निर्धारण तथा पर्यावरणीय कानूनों के प्रभावी अनुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत में प्रदूषण नियंत्रण की सर्वोच्च वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत की गई थी तथा बाद में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत इसे वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी शक्तियाँ एवं दायित्व प्रदान किए गए।[40] केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य देश में वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपशमन हेतु नीतिगत एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना है। बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता मानकों का निर्धारण करता है तथा विभिन्न राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों का समन्वय स्थापित करता है।[41] इसके अतिरिक्त यह वायु गुणवत्ता की निगरानी, प्रदूषण संबंधी आँकड़ों का संकलन, अनुसंधान को प्रोत्साहन तथा पर्यावरणीय जागरूकता के प्रसार का कार्य भी करता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभिन्न उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों के लिए उत्सर्जन मानक निर्धारित करता है तथा पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन की निगरानी करता है। यह केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों पर परामर्श भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं वायु गुणवत्ता सुधार संबंधी रणनीतियों के निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।[42]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रत्येक राज्य में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन हेतु स्थापित वैधानिक निकाय हैं। इन बोर्डों का मुख्य दायित्व राज्य स्तर पर वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण सुनिश्चित करना है।[43] वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे उद्योगों, कारखानों एवं अन्य प्रदूषणकारी इकाइयों को स्थापना एवं संचालन की अनुमति प्रदान करें तथा

---

38 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, धारा 152।
39 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, धारा 162।
40 जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, धारा 3; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, धारा 3।
41 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, धारा 16।
42 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, 2019, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
43 जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, धारा 4; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, धारा 5।

निर्धारित मानकों के अनुपालन की निगरानी करें।[44] यदि कोई उद्योग निर्धारित मानकों का उल्लंघन करता है, तो बोर्ड उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर सकता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी, नमूनों का परीक्षण, निरीक्षण तथा प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निस्तारण का कार्य भी करते हैं। इसके अतिरिक्त वे राज्य सरकारों को प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में सुझाव प्रदान करते हैं तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने में सहायता करते हैं।[45] अतः केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की आधारभूत संस्थाएँ हैं। ये न केवल पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि वायु गुणवत्ता में सुधार तथा नागरिकों के स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

8. वर्तमान चुनौतियाँ

भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु संवैधानिक, वैधानिक तथा संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध होने के बावजूद इसकी समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरणीय कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की है। यद्यपि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जैसे व्यापक कानून अस्तित्व में हैं, फिर भी अनेक उद्योग निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए प्रदूषक तत्वों का उत्सर्जन करते रहते हैं। कई मामलों में निरीक्षण, निगरानी एवं दंडात्मक कार्यवाही अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पाती। दूसरी प्रमुख चुनौती तीव्र शहरीकरण एवं औद्योगीकरण है। बढ़ती जनसंख्या, वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि, निर्माण गतिविधियों का विस्तार तथा ऊर्जा की बढ़ती मांग वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। महानगरों में यातायात जाम, धूलकण तथा ईंधन दहन वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त तापीय विद्युत गृहों एवं औद्योगिक इकाइयों से होने वाला उत्सर्जन भी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। कृषि क्षेत्र में फसल अवशेषों का दहन भी एक गंभीर समस्या है। विशेषकर उत्तर भारत में पराली जलाने के कारण वायु गुणवत्ता में तीव्र गिरावट देखी जाती है। किसानों के पास वैकल्पिक साधनों की सीमित उपलब्धता इस समस्या को और जटिल बनाती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक ईंधनों का उपयोग भी वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती जन–जागरूकता की कमी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर नागरिकों में पर्याप्त संवेदनशीलता का अभाव दिखाई देता है। प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन केवल सरकारी उत्तरदायित्व न होकर सामाजिक दायित्व भी है, किंतु इस दिशा में अपेक्षित सहभागिता अभी भी सीमित है। अतः प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता तथा जनसहभागिता के अभाव के कारण वायु प्रदूषण नियंत्रण एक जटिल चुनौती बना हुआ है।

[44] वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, धाराएँ 21 एवं 22।
[45] वही, धारा 17।

9. सुझाव एवं सुधारात्मक उपाय

वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए विधिक, प्रशासनिक, तकनीकी तथा सामाजिक स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। सर्वप्रथम पर्यावरणीय कानूनों का कठोर एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, संस्थानों एवं अन्य इकाइयों के विरुद्ध समयबद्ध एवं कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि कानूनों के प्रति अनुपालन की संस्कृति विकसित हो सके। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना भी अत्यंत आवश्यक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा अन्य स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। साथ ही ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाने के लिए उद्योगों एवं उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना भी वायु प्रदूषण नियंत्रण का एक प्रभावी उपाय है। आधुनिक, सुरक्षित एवं सुलभ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित कर निजी वाहनों पर निर्भरता कम की जा सकती है। विद्युत चालित वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने तथा प्रदूषणकारी वाहनों पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। कृषि क्षेत्र में पराली एवं अन्य कृषि अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु किसानों को तकनीकी सहायता एवं आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों से उत्पन्न धूल को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र का विस्तार तथा प्रदूषण संबंधी आँकड़ों की पारदर्शी उपलब्धता भी आवश्यक है। विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरणीय शिक्षा एवं जन–जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की संस्थागत क्षमता को और अधिक सुदृढ़ बनाकर वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को प्रभावी बनाया जा सकता है।

10. निष्कर्ष

वायु प्रदूषण वर्तमान समय में भारत के समक्ष उपस्थित सबसे गंभीर पर्यावरणीय एवं जनस्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में से एक है। इसका प्रभाव केवल वायु गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य, आर्थिक उत्पादकता, पर्यावरणीय संतुलन तथा जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। औद्योगीकरण, शहरीकरण, वाहनों की बढ़ती संख्या, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग तथा कृषि अवशेषों का दहन इस समस्या के प्रमुख कारण हैं, जिनके परिणामस्वरूप देश के अनेक शहर गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति का सामना कर रहे हैं। भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक व्यापक विधिक ढाँचा विकसित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21, 48(क) तथा 51(क)(छ) पर्यावरण संरक्षण के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 जैसे कानून प्रदूषण नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण विधिक साधन उपलब्ध कराते हैं। न्यायपालिका ने भी विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग स्वीकार करते हुए पर्यावरणीय न्यायशास्त्र को समृद्ध

किया है। इसके बावजूद वायु प्रदूषण की समस्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल कानूनों का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी आवश्यक है। सरकार, उद्योग, न्यायपालिका, नागरिक समाज तथा आम नागरिकों को संयुक्त रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करना होगा। स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास, जन–जागरूकता तथा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से ही वायु प्रदूषण की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अतः एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं प्रदूषण–मुक्त पर्यावरण की स्थापना के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व और सतत प्रयास समय की आवश्यकता है।